भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2805
जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 मार्च, 2023 को दिया जाना है

साक्षी संरक्षण हेतु विधान

2805. श्री उपेन्द्र सिंह रावत :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारत के विधि आयोग द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसरण में साक्षियों के संरक्षण हेतु विधि निर्माण का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : गृह मंत्रालय (एमएचए) ने यह सूचित किया है कि ऐसा विधान अधिनियमित करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, माननीय उच्चतम न्यायालय की 2016 की रिट याचिका (दांडिक) सं. 156 तारीख 05.12.2018 के आदेश की अनुपालना में, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो और राज्य सरकारों के परामर्श से, गृह मंत्रालय द्वारा 'साक्षी संरक्षण स्कीम, 2018' नामक स्कीम तैयार की गई है जिसके कठोर अनुपालन के लिए सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में परिचालित किया गया था और यह संविधान के अनुच्छेद 141/142 के आधार पर 'विधि' के क्षेत्र में आता है । यह स्कीम खतरे के निर्धारण के आधार पर साक्षियों को संरक्षण प्रदान करती है ।

****